राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11054/2008

सुरेश कुमार पुत्र श्री लीला राम, गांव पथाना पोस्ट पचेरी बस्ती वाया बुहाना जिला झुंझुनू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव, मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, लोधी रोड सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
3. कमांडेंट, 13 वीं बटालियन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, बसर, जिला पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश
4. कमांडेंट, 32 वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री सार्थक रस्तोगी साथ में श्री तुषार कुमार
प्रतिवादीगण की ओर से	:	श्री देवेश कुमार बंसल साथ में श्री सी. पी. शर्मा

न्यायाधिपति अनूप कुमार ढंड

आदेश

11/02/2025

रिपोर्टेबल

एक बच्चे के कल्याण के लिए, पिछली गलतियों का बोझ अवश्य हटाया जाना चाहिए, उसे कलंक के भार से मुक्त होकर, फलने-फूलने के लिए एक नई शुरुआत की पेशकश करनी चाहिए। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, "ऐसी जगह पर लौटने जैसा कुछ भी नहीं है जो अपरिवर्तित रहती है, यह जानने के लिए कि आप स्वयं किन तरीकों से बदल गए हैं।"

बच्चे अपने अतीत से परे विकसित होने और बढ़ने का मौका पाने के हकदार हैं, जो पिछली त्रुटियों से नहीं बल्कि भविष्य के लिए उनकी क्षमता से गढ़े गए हों। पिछले उल्लंघनों की छाया को मिटा दिया जाना चाहिए, उन्हें कलंक रहित और संभावनाओं से भरा जीवन जीने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी हमें याद दिलाया, 'ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चतुर हूं, लेकिन मैं सवालों के साथ ज्यादा देर तक रहता हूं।' उसी तरह, बच्चों को बदलने के लिए समय और स्थान दिया जाना चाहिए, जिसमें उनका भविष्य उन्हें परिभाषित करे, न कि उनका इतिहास। उनके विकास को बढ़ावा देकर, हम उन्हें अपने अतीत से ऊपर उठने और कल की आशा को साकार करने की स्वतंत्रता देते हैं।

1. इस याचिका को दायर करके, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि उसने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता और दोषसिद्धि को छुपाया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को सिपाही के पद पर नियुक्ति दी गई थी। अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता एक किशोर था जब उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, और उस पर उक्त मामले के लिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जिसमें उसे धारा 436, 457 और 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया था। अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को कोई सजा नहीं दी गई थी, बल्कि उसे निर्णय दिनांक 16.11.2004 के द्वारा, उसके परामर्श के बाद, भर्त्सना पर रिहा कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त निर्णय के कारण याचिकाकर्ता को किसी भी सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई अपात्रता उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अपराध कारित किए जाने के समय तथा विचारण के दौरान वह किशोर था। अधिवक्ता का तर्क है कि इसी विश्वास के तहत, उसने आवेदन किया और सिपाही के पद पर नियुक्ति पाने के लिए आवेदन पत्र में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया।

3. अधिवक्ता का तर्क है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, "अधिनियम 2000") की धारा 19(1) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक किशोर जिसने कोई अपराध किया है, जिसके साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निस्तारण कर दिया गया है, वह ऐसे कानून के तहत किसी अपराध की दोषसिद्धि से जुड़ी किसी भी अयोग्यता, यदि कोई हो, से ग्रस्त नहीं होगा। अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अधिनियम 2000 की धारा 19 की उप-धारा (2) के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड यह निर्देश देते हुए एक आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के प्रासंगिक अभिलेख अपील की अवधि समाप्त होने के बाद हटा दिए जाएंगे। अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के

निर्णय के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी और याचिकाकर्ता इस धारणा में था कि उसकी दोषसिद्धि से संबंधित उसके प्रासंगिक अभिलेख हटा दिए गए थे और उस सद्भावपूर्ण विश्वास के तहत, उसने अपना आवेदन पत्र जमा करते समय उपरोक्त निर्णय के बारे में खुलासा नहीं किया। इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द और अपास्त किया जाने योग्य है और प्रतिवादीगण को सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता की नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

4. अपनी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है जो इस प्रकार हैं:-

1. **गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य बनाम प्रदीप हुडा, 2012 0 सुप्रीम (दिल्ली) 1313** में संप्रकाशित।

2. **मुकेश यादव बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2017 0 सुप्रीम (दिल्ली) 4442** में संप्रकाशित।

3. **भारत संघ और अन्य बनाम रमेश विश्नोई, 2019 19 (SCC) 710** में संप्रकाशित।

5. *इसके विपरीत,* प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया किया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और साशय रूप से धारा 436, 457 और 380 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि के भौतिक तथ्य को छुपाया। अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की ओर से छिपाव उसके चरित्र को दर्शाता है और याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त कदाचार को

देखते हुए, अधिकारियों द्वारा उसकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता का तर्क है कि यह अधिकारियों का विवेक है कि किसी व्यक्ति को सेवा में रखा जाए या नहीं और यदि यह पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति, एक आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता के अनुसरण में, (उचित) चरित्र नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादीगण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. बहस सुनी और विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. अधिनियम 2000 को बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम में वर्ष 2006 और 2011 में समय-समय पर संशोधन किया गया था।

8. अधिनियम 2000 को विधि-विवादित किशोर और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए, उन्हें उचित देखभाल और संरक्षण प्रदान करके, उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करके, और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के अधिनिर्णय और निपटान में बाल-सुलभ दृष्टिकोण अपनाकर और उनके अंतिम पुनर्वास के लिए अधिनियमित किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की धारा 21 विधि-विवादित किशोर के नाम के प्रकाशन पर रोक लगाती है और इस प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य

किशोर के रूप में किए गए अपराध के कारण किसी भी प्रतिकूल परिणाम से किशोर की रक्षा करना है।

9. तथापि, हाल के समय में कई मुद्दे उभरकर सामने आए थे, जैसे कि संस्थाओं में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाएँ, गृहों में अपर्याप्त सुविधाएँ, देखभाल की गुणवत्ता तथा पुनर्वास के उपायों से संबंधित समस्याएँ, त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण प्रक्रिया के कारण दत्तक ग्रहण में होने वाला विलंब, संस्थाओं की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों एवं जवाबदेही के संबंध में स्पष्टता का अभाव, दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ बच्चों की बिक्री आदि। इसके अलावा, हाल के वर्षों में 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के बढ़ते मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधिनियम के तहत प्रावधान इस आयु वर्ग के बाल अपराधियों से निपटने के लिए अपर्याप्त थे।

चूंकि उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में कई बदलावों की आवश्यकता थी, इसलिए मौजूदा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करने और एक व्यापक कानून को फिर से अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया था।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल-सुलभ दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करता है।

10. अधिनियम 2000 की धारा 19 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक किशोर जिसने कोई अपराध किया है और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया है, वह ऐसे कानून के तहत किसी

अपराध की दोषसिद्धि से जुड़ी किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं होगा।धारा 19 की उप-धारा (2) आगे यह निर्धारित करती है कि बोर्ड यह निर्देश देते हुए एक आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेख अपील की अवधि समाप्त होने के बाद या नियमों के तहत निर्धारित उचित अवधि के बाद हटा दिए जाएंगे।

11. इसी तरह, अधिनियम 2015 की धारा 24 एक अपराध के निष्कर्षों पर अयोग्यता को हटाने से संबंधित है और वही इस प्रकार है:-

> "**धारा 24. एक अपराध के निष्कर्ष पर अयोग्यता को हटाना।**
> (1) उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक बच्चा जिसने कोई अपराध किया है और जिसके साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निस्तारित कर दिया गया है, वह ऐसे कानून के तहत किसी अपराध की दोषसिद्धि से जुड़ी किसी भी अयोग्यता, यदि कोई हो, से ग्रस्त नहीं होगा:
>
> बशर्ते कि एक बच्चे के मामले में जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उससे अधिक है और धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत बाल न्यायालय द्वारा विधि-विवादित पाया जाता है, उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
>
> (2) बोर्ड पुलिस को निर्देश देते हुए एक आदेश देगा, या बाल न्यायालय द्वारा अपनी रजिस्ट्री को, कि ऐसी दोषसिद्धि के प्रासंगिक अभिलेख अपील की अवधि समाप्त होने के बाद, या, जैसा भी मामला हो, एक उचित अवधि जो निर्धारित की जा सकती है, के बाद नष्ट कर दिए जाएंगे:
>
> बशर्ते कि एक जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चे को धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत विधि-विवादित पाया जाता है, ऐसे बच्चे की दोषसिद्धि के प्रासंगिक अभिलेख बाल न्यायालय द्वारा बनाए रखे जाएंगे।"

12. इसी प्रकार, अधिनियम 2015 की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने किशोर न्याय

(बच्चों की देखभाल, संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (संक्षेप में "नियम 2016") बनाए, जिसमें नियम 14 उसमें उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद, विधि-विवादित बच्चे की दोषसिद्धि के अभिलेख को नष्ट करने से संबंधित है। नियम 14 इस प्रकार है:-

> "**14. अभिलेखों का विनाश-** विधि-विवादित बच्चे के संबंध में दोषसिद्धि के अभिलेख को अपील की अवधि समाप्त होने तक या सात साल की अवधि तक, और उससे अधिक नहीं, सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, और उसके बाद प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा:
>
> बशर्ते कि एक जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चे को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत विधि-विवादित पाया जाता है, ऐसे बच्चे की दोषसिद्धि के प्रासंगिक अभिलेख बाल न्यायालय द्वारा बनाए रखे जाएंगे।"

13. इसका अर्थ है, अधिनियम 2015 की धारा 24 और नियम 2016 के नियम 14 के तहत निहित प्रावधान करता हैं कि एक किशोर के लिए "भूल जाने का अधिकार" उनकी भविष्य की संभावनाओं की सुरक्षा के लिए एक पूर्ण अधिकार है।

14. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 436, 457 एवं 380 के अंतर्गत अपराधों के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचारण किया गया था। उस समय वह 15 वर्ष की आयु का अवयस्क था। उक्त अपराधों के लिए उसे दोषसिद्ध किया गया, किंतु वर्ष 2000 के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया। परामर्श दिए जाने के पश्चात् उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया तथा याचिकाकर्ता के संरक्षक पर 1,000/- रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

15. अभिलेख से पता चलता है कि बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी, इस प्रकार, यह अंतिम हो गया, और इसलिए, उक्त सद्भावपूर्ण विश्वास के तहत, याचिकाकर्ता इस धारणा में रहा कि उसकी दोषसिद्धि के संबंध में प्रासंगिक अभिलेख हटा दिए गए होंगे और यही सटीक कारण था कि जब याचिकाकर्ता ने सिपाही के पद पर नियुक्ति पाने के लिए आवेदन पत्र जमा किया, तब उसने उपरोक्त आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया।

16. दिल्ली उच्च न्यायालय ने **प्रदीप हुडा** (उपरोक्त) के मामले में समान स्थिति से निस्तारित है, जहां एक किशोर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 398, 307 और 34 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था और वह आरोपों से बरी हो गया था और उसने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और उसे वह दे दी गई थी जिसे बाद में उक्त व्यक्ति द्वारा छिपाव के कारण रद्द कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का मत था कि जहां एक किशोर भी, जिसे अपराध करने का दोषी पाया गया हो, किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं होगा और यहां तक कि एक निर्दिष्ट अवधि के बाद अभिलेख भी मिटा दिए जाने हैं। उपरोक्त आदेश पारित करने का कारण किशोर व्यक्ति के पक्ष में विधानमंडल की मंशा थी। उक्त व्यक्ति के बर्खास्तगी आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ एनसीटी दिल्ली सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20177/2012 प्रस्तुत की और उसे 19.11.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और इसलिए, **प्रदीप हुडा** (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय अंतिम हो गया है।

17. इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **मुकेश यादव** (उपरोक्त) के मामले में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है, जहां किशोर के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को छिपाने के कारण, उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के बाद, बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश बिश्नोई** (उपरोक्त) के मामले में अधिनियम 2000 के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, "अधिनियम 2015") के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, समान दृष्टिकोण अपनाया है और माना है कि भले ही एक किशोर को दोषी ठहराया गया हो, उसे मिटा दिया जाना चाहिए, ताकि किशोर के रूप में उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किशोर पर कोई कलंक न लगे। यह ऐसे किशोर को बिना किसी कलंक के, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समाज में वापस पुनर्स्थापित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है। अधिनियम 2015 की धारा 3 को ध्यान में रखा गया और पैरा 9 में यह माना गया है जो इस प्रकार प्रकट होता है:-

> "9. तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस समय प्रतिवादी के खिलाफ 30.06.2009 को आरोप तय किए गए थे, उस समय प्रतिवादी की आयु 18 वर्ष से कम थी क्योंकि उसकी जन्म तिथि 05.09.1991 है। सबसे पहले, यह विवादित नहीं था कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप कभी साबित नहीं हुए क्योंकि लड़की और उसके माता-पिता ने प्रतिवादी के खिलाफ गवाही नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप 24.11.2011

को वह बरी हो गया। यहां तक कि अगर आरोप सही पाए जाते, तब भी प्रतिवादी को ऐसे आरोपों के आधार पर नौकरी पाने से वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे तब किए गए थे जब प्रतिवादी किशोर था। विधानमंडल का जोर, यानी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यह है कि भले ही एक किशोर को दोषी ठहराया गया हो, उसे मिटा दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति द्वारा किशोर के रूप में किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई कलंक न हो। यह ऐसे किशोर को बिना किसी कलंक के, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समाज में वापस पुनर्स्थापित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 3 उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बोर्ड और अन्य एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है। धारा 3 के खंड (xiv) में, यह स्पष्ट रूप से निहित किया गया है:

> ".....(xiv) नई शुरुआत का सिद्धांत: किशोर न्याय प्रणाली के तहत किसी भी बच्चे के सभी पिछले अभिलेख विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मिटा दिए जाने चाहिए....."

> वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी उस समय नाबालिग था जब उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 447 और 509 के तहत अपराधों के आरोप तय किए गए थे। यह भी विवादित नहीं है कि वह आरोपों से बरी हो गया था। हालांकि, भले ही उसे दोषी ठहराया गया होता, उसे नौकरी पाने के लिए उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि यह स्वीकार्य है कि जब कथित अपराध किए गए थे और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, तब वह नाबालिग था। धारा 3(xiv) में इसके लिए प्रावधान किया गया है तथा विशेष परिस्थितियों का अपवाद वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।"

उपरोक्त खंड और विधानमंडल द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश बिश्नोई** (उपरोक्त) के मामले में शामिल उक्त किशोर के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया।

19. इस न्यायालय का अवलोकन है कि वर्ष 2015 के अधिनियम की धाराओं 3(xiv) एवं 24 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 14 को लागू करने के पीछे विधायिका का आशय किशोर को दोषसिद्धि के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण प्रदान करना तथा संबंधित किशोर की भविष्य की संभावनाओं के लिए उक्त दोषसिद्धि को अपात्रता के रूप में हटाना है। यह न्यायालय यह भी देखता है कि इस तरह के अधिनियमन के पीछे विधायी मंशा स्पष्ट है कि यदि किशोर को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और संबंधित न्यायालय/बोर्ड के

पास अयोग्यता को हटाकर अधिनियम 2015 की धारा 24 का लाभ देने का विकल्प है, इस तथ्य के साथ कि उक्त धारा की भाषा भी ऐसे दोषसिद्धि अभिलेख को नष्ट करने की अपेक्षा करती है, तब अधिनियम 2015 की धारा 24 का लाभ देने के बाद, तत्कालीन संबंधित किशोर को किसी भी सरकारी विभाग आदि में किसी भी भविष्य के रोजगार और/या सार्वजनिक रोजगार में किसी अन्य संभावनाओं के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

20. यह न्यायालय 'भूल जाने के अधिकार' से अवगत है, जिसका उल्लेख माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जोरावेर सिंह मुंडी @ जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 3981/2021) के मामले में दिनांक 12.04.2021 को पारित आदेश में किया गया है तथा जिस पर विचार किया गया है।

21. जोरावेर **सिंह मुंडी @ जोरावर सिंह मुंडी** (उपरोक्त) के मामले में प्रगणित 'भूल जाने के अधिकार' के साथ-साथ अधिनियम 2015 की धारा 3 (xiv) और 24 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 14 के अधिनियमन पर संयुक्त विचार करने पर, यह न्यायालय देखता है कि किशोर अपचारिता के मामलों में, यदि किसी किशोर के किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त अभिलेख को प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, दूसरों के बीच, अभिगम करने के लिए बरकरार रहने दिया जाता है, तो यह न केवल किशोर के लिए अपमान और अपयश ला सकता है, बल्कि अन्य बातों के अलावा, किशोर की भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

22. यह न्यायालय 'भूल जाने के अधिकार' के व्यापक दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहता है, लेकिन, वर्तमान में, अधिनियम 2015 की धारा 24 के परिप्रेक्ष्य में एक किशोर के लिए 'भूल जाने के अधिकार' को ऐसे किशोर की भविष्य की संभावनाओं की सुरक्षा के लिए एक पूर्ण अधिकार मान रहा है।

23. ऐसा खुलासा न केवल एक किशोर के 'भूल जाने के अधिकार' को प्रभावित करेगा, बल्कि अधिनियम 2015 को लागू करने और उसमें धारा 24 को शामिल करने के पीछे विधायिका के मूल उद्देश्य और मंशा को भी विफल कर देगा। ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने से, अधिनियम 2015 की मूल विधायी मंशा भी विफल हो जाएगी, विशेष रूप से, एक किशोर के भविष्य के रोजगार और इसी तरह की संभावनाओं के संबंध में, क्योंकि इससे, किशोर का पुनर्वास और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो किशोर को फिर से आपराधिक अपचारिता का सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह तब और भी अधिक है, जब, आज के विकासशील समाज गतिशील हैं और अपनी जटिलता में स्व-व्याख्यात्मक हैं, जिसके बाद कभी न खत्म होने वाले परिवर्तन होते हैं, और किशोर इसका कोई अपवाद नहीं है, बल्कि बहुत अधिक सुभेद्य है, क्योंकि उसके (किशोर के) पिछले जीवन की नकारात्मकता, अधिनियम 2015 जैसे बहुत मजबूत कानून के अधिनियमन के बावजूद, जिसकी विधायी मंशा उसके आपराधिक पूर्ववृत्त को अभिलेख से हटाने की है, बल्कि उसके संपूर्ण अभिलेख को नष्ट करने की है, यदि उसे बनाए रखने और बरकरार रहने दिया जाता है, तो उसे किशोर के कल्याण और भविष्य की भलाई के खिलाफ, अस्पष्ट कारणों से फिर से देखा जाएगा, जिससे किशोर को भविष्य में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।

24. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12, 'दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाने' की बात करती है, लेकिन अधिनियम 2015 की धारा 24 में प्रयुक्त भाषा न केवल आपराधिक पूर्ववृत्त अभिलेख को बाहर करने या मिटाने के लिए है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर, यह प्रावधान करती है कि एक किशोर के आपराधिक पूर्ववृत्त अभिलेख को पूरी तरह से मिटा/नष्ट कर दिया जाए, ताकि एक किशोर की ऐसी पिछली दोषसिद्धि या आपराधिक अपचारिता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ताकि उसकी पिछली अपचारिता का उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

25. अब उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी किशोर अपचारिता और दोषसिद्धि के बारे में जानकारी प्रस्तुत न करने को कानून के तहत एक वैध बहाने के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और अतीत की ऐसी पिछली नकारात्मकता/ पिछली आपराधिक अपचारिता को वर्तमान याचिकाकर्ता जैसे पदधारी के अहित के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, उसे यहां शामिल भर्ती अभ्यास से बाहर करने की दृष्टि से, जिससे अधिनियम 2015 की धारा 24 का लाभ दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता की करियर संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

26. यह न्यायालय आगे यह भी अवलोकन करता है कि वर्तमान मामले में, जब वर्ष 2015 के अधिनियम की धारा 24 के पीछे विधायिका का स्पष्ट आशय उपर्युक्तानुसार है, तब विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने याचिकाकर्ता को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध तो किया, किंतु यह आदेश भी दिया कि उक्त दोषसिद्धि को याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अपात्रता नहीं माना जाएगा। साथ ही, यह आदेश भी दिया कि

दोषसिद्धि से संबंधित संपूर्ण अभिलेख नष्ट कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में, वर्ष 2015 के अधिनियम की धारा 24 में किए गए प्रावधानों के आलोक में, वर्तमान याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को किसी भी भर्ती अथवा भविष्य की अन्य संभावनाओं, जिनमें वर्तमान मामले में सम्मिलित भर्ती भी शामिल है, के लिए उसकी पात्रता में बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता।

27. यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता एक मेधावी उम्मीदवार है और उसने विचाराधीन पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पारितसफलतापर्वूक पूर्ण किया है, और एक बार जब सक्षम न्यायालय, जिसने आपराधिक मामले का विचारण किया, ने अधिनियम 2000 की धारा 19 का आह्वान करते हुए एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि उक्त दोषसिद्धि आदेश याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, और इसलिए, विचाराधीन आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के आधार पर याचिकाकर्ता को विचाराधीन पद के लिए अयोग्य/अपात्र घोषित करने वाला आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सकता।

28. यह न्यायालय इस प्रकार मानता है कि एक बार जब अधिनियम 2000 की धारा 19 का लाभ याचिकाकर्ता को दिया गया था, जो उस समय, एक किशोर था, तब उस मामले में, भले ही विचाराधीन दोषसिद्धि की जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसे उसकी ओर से 'छिपाव' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए और उसे कानूनी प्रावधान का उपरोक्त लाभ देते हुए, दोषसिद्धि अभिलेख को मिटाने/नष्ट करने का

आदेश, ऐसी दोषसिद्धि के याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए था।

29. यह न्यायालय आगे मानता है कि एक किशोर के संबंध में 'भूल जाने का अधिकार', जहां अधिनियम 2015 की धारा 24 है, एक निश्चित अधिकार रहेगा और एक किशोर, जिसे धारा 24 का लाभ दिया गया है, वह अपनी किशोर अपचारिता को कहीं भी अभिलेख पर न रखकर मिटाने का हकदार होगा, क्योंकि ऐसे अभिलेख का निर्माण या स्थायीकरण, किशोर के लिए एक प्रकार की शर्मिंदगी को उजागर कर सकता है, जिसका निश्चित रूप से, उसकी भविष्य की संभावनाओं पर, जिसमें सार्वजनिक रोजगार के लिए एक चयन प्रक्रिया शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और यह किशोर कानूनों की विधायी मंशा के खिलाफ जाता है।

30. यह न्यायालय निर्देश देता है कि किशोर अपचारिता के अभिलेख को नष्ट करने के माध्यम से किशोर के लिए 'भूल जाने का अधिकार' एक पूर्ण अधिकार है, और इसलिए, इसे पूर्ण अर्थ देने के लिए, राज्य के साथ-साथ 'राज्य' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अन्य निकायों, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित है, को एतद्द्वारा, भविष्य में, तत्कालीन किशोर से उसकी किशोर अपचारिता के पिछले अभिलेख/जानकारी के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका जाता है, उन मामलों में जहां अधिनियम 2015 की धारा 24 का लाभ दिया गया है, ताकि ऐसी अपचारिता का किशोर की भविष्य की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

31. अधिनियम 2000 की धारा 19(2) और अधिनियम 2015 की धारा 24 के तहत निहित अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, यह न्यायालय

प्रतिवादीगण के इस तर्क में कोई दम नहीं पाता कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने और उस मामले में उसकी भर्त्सना के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य था, जो एक ऐसी घटना से संबंधित थी, जो तब हुई थी जब वह 15 साल का नाबालिग था और ऐसी जानकारी का खुलासा करना अधिनियम 2000 की भावना के विपरीत होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विधि-विवादित किशोर के साथ कोई कलंक नहीं जुड़ा है, इस न्यायालय के सुविचारित मत में, जब एक बार किशोर को उपरोक्त अधिनियमन के तहत एक सुरक्षात्मक छत्र प्रदान किया गया है, तब प्रतिवादीगण के पास यह जोर देने का कोई अच्छा कारण उपलब्ध नहीं था कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगे आरोपों से संबंधित जानकारी का खुलासा करना चाहिए था, जो उसकी नाबालिग अवस्था के दौरान किए गए अपराध से संबंधित था, जहां उस पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा एक किशोर के रूप में मुकदमा चलाया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जब याचिकाकर्ता के संबंध में पुलिस सत्यापन किया गया, तब भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित जानकारी को प्रकट करने से बचना चाहिए था, क्योंकि वह उस समय किशोर था। यह प्रथम दृष्टया गोपनीयता का घोर उल्लंघन और अधिनियम के तहत निहित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन था।

32. **प्रदीप हुडा** (उपरोक्त), **मुकेश यादव** (उपरोक्त) और **जोरावर सिंह मुंडी** (उपरोक्त) के मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों तथा **रमेश बिश्नोई** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार करते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के खिलाफ भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई वैध कारण नहीं पाता, जो भी कथित घटना होने पर एक किशोर था।

33. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि, अधिनियम 2000 की धारा 19(1) और (2) के अनुसरण में, कोई अयोग्यता नहीं जोड़ेगी, प्रतिवादीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2008 टिकाऊ नहीं है और तदनुसार, इसे रद्द और अपास्त किया जाता है।

34. प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादीगण इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

35. सभी लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का भी निस्तारण किया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), J

आयुष शर्मा /91

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकरिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"